भारतीय संविधान और विकलांगों के अधिकार : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डा0 जे0एस0पी0 पांडे
एसो0 प्रोफे0 एवं विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग,
डी0ए0पी0 कालिज, कानपुर

संदीप पांडे
शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग,
डी0ए0पी0 कालिज, कानपुर
Email: sandeepalm@yahoo.com

सारांश

भारतीय संविधान सामाजिक स्थिरता एवं समरसता पर विद्यमान है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत भारतीय समाज के एक व्यवस्थित ढ़ांचे का अध्ययन कुछ भारतीय समाजशास्त्रीयों और शोधार्थीयों द्वारा किया गया है। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विकलांग ही क्यों न हो की समानता स्वतंत्रता, न्याय और उनकी गरिमा की रक्षा का आश्वासन देता है। विकलांग व्यक्ति भी हमारे देश के मूल्यवान मानवीय संसाधन है। संविधान में वर्णित प्रावधान और नियम तथा अनुच्छेद उनके लिए समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उनके लिए समान अवसर, उनके अधिकारों की रक्षा और समाज में उनकी पूर्ण सहभागिता को परिलच्छित करता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए बनायी गयी नीतियां इन तथ्यों को मान्यता और बल प्रदान करती हैं कि इनके जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना प्राथमिक रूप में हैं।

मुख्य शब्द–*विकलांगता, सामाजिक स्थिरता, संविधान, समानता, सामाजिक अर्न्तसम्बन्ध।*

प्रस्तावना

भारत विष्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देष है। जिसमें से 2.68 करोड़ (2.21%) व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। कुल विकलांग व्यक्तियों में से 1.50 करोड़ पुरूष और 1.18 करोड़ महिला विकलांगता से ग्रसित है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी आबादी के होते हुए भी इन्हें 'सीमांत मानव' के रूप में हाशिए पर रखा गया है तथा कई प्रकार की सामाजिक सुविधाओं से वंचित किया भी किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मूकबाधित, चालनबाधित, मानसिक बीमारी, मानसिक विच्छिपतता, बहुभागी विकलांगता अथवा अन्य विकलांगताओं से ग्रसित है, विकलांगो की श्रेणी में सम्मिलित किये जाते हैं। वर्तमान में विकलांगता की श्रेणियों को बढ़ाते हुए 21 प्रकार की विकलांगता में बांटा गया है जो निम्न हैं–

1 अन्धता

2 कम दृष्टि
3 कुष्ट रोग पीड़ित /निवृत्त व्यक्ति
4 सुनने की क्षमता में कमी (बहारापन और ऊँचा सुनना)
5 चलने फिरने की असमर्थता
6 बौनापन
7 बौद्धिक अक्षमता
8 मानसिक बीमारी
9 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
10 मतिस्क पक्षाघात
11 मांसपेशीय दुर्विकास
12 जटिल स्नायविक स्थिति
13 विशेष सीखने की अक्षमता
14 बहुविधि ऊतक दृढ़न (स्क्लेरोसिस)
15 बोलने और भाषा की विकलांगता
16 थैलेसीमिया
17 हीमोफिलिया
18 सिकल कोशिक रोग
19 बहुल विकलांगता सहित बहरापन
20 एसिड हमले का षिकार
21 पार्किंसन रोग।

विकलांगता शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्लोबल बर्डन आफ डिसीज (जी0बी0डी) विकलांगता शब्द को स्वास्थ्य की हानि मानता है। यद्यपि स्वास्थ्य की अवधारण शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता से है। (सेन 1988) विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि से विकलांगता एक छत्रप शब्द है जो शारीरिक क्षीणता, क्रियाकलापों की बाध्यताओं और सहभागिता प्रतिबन्धों को सम्मिलित करता है। ये क्षीणताएँ शारीरिक, मानसिक, अनुभागात्मक अथवा विकासात्मक रूग्णता के रूप में हो सकती हैं। विकलांगता जन्म से भी हो सकती है अथवा जीवन के किसी कालक्रम में भी घटित हो सकती है। विकलांगता एक जटिल प्रघटना है, जो मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं और समाज के बीच अर्न्तक्रियात्मक सम्बन्धों को प्रकट करती है। 13 दिसम्बर 2006 के संयुक्त राष्ट्र संघ के 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार' विषयक अधिवेशन में विकलांगता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 'विकलांगता उन अन्तर क्रियाओं का परिणाम है जिनमें शारीरिक अक्षम व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार और पर्यावरणीय अवरोध समाज में दूसरों के साथ समान रूप से प्रतिभाग करने में बाधा डालते हैं।'

ऐतिहासिक दृष्टि से विकलांगता अधिकार आन्दोलनों का उदय बीसवीं शताब्दी के 70 और 80 के दशकों के मध्य में हुआ। यह वही समय था जब विकलांग व्यक्तियों के प्रति एक नये परिप्रेक्ष्य ने अपना ध्यान व्यक्गित और चिकित्सीय विकलांगता की तरफ से समाज द्वारा निर्मित विकलांगता अथवा अवरोधों जैसे बहिष्कृत, पक्षपात, सुविधाओं से वंचित विकलांगता की तरफ खींचा। यह हमारे समाज की विडम्बना है कि विकलांग व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाता है और उनको समाज के विकास में बाधा माना जाता है। विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में समाज का और विशेषकर राज्य का यह दायित्व बनता है कि प्रत्येक के साथ समानता का व्यवहार हो। भारतीय संविधान की प्रासंगिकता के सम्बन्ध कहा जा सकता है कि इसमें कहीं भी 'विकलांग व्यक्तियों' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर उसके स्थान पर कमजोर, असहाय, सामाजिक पिछड़े आदि जैसे शब्दों का प्रयोग कर के समाज के एक बड़े वर्ग की अवहेलना की गयी है। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार और न्याय देने की बात आती है। चूंकि विकलांगता किसी व्यक्ति और समाज के कारकों के बीच एक जटिल सम्बन्धों को प्रतिरूपित करती है और इन प्रतिरूपों में सदैव ही अर्न्तविरोध होता है। इसलिए कभी समाज विकलांग व्यक्ति को नहीं अपनाता है तो कभी विकलांग व्यक्ति समाज के मूल्यों–विचारों में अपने को संयोजित नही कर पाता है। शायद, हमारे संविधान निर्माताओं को इन सामाजिक तत्वों का पूर्व ज्ञान था। इसलिए उन्होंने संविधान में विकलांग व्यक्तियों के लिए नीति निर्माण कर उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निरूपण किया।

यह लेख हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों में विकलांग व्यक्तियों के प्रति विकसित अवधारणाओं का संक्षिप्त समाजशास्त्रीय अन्वेषण है। साथ ही, सरकार द्वारा इन विधानों का किस प्रकार क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसका भी संक्षिप्त वर्णन है। कुछ प्रावधान जो विकलांग व्यक्तियों की उन्नति के लिए आवश्यक है, उनका वर्णन भी किया गया है। भारत में विद्यमान संवैधानिक प्रावधानों–विधानों और समाज के बीच में सामाजिक अर्न्तक्रिया स्थापित करने का प्रयास भी किया गया है।

कार्यपद्धति (Methodology) – इस लेख की पद्धति गुणात्मक है। अन्वेषाणात्मक पद्धति (Exploratory Method) का प्रयोग किया गया है। अन्वेषण द्वारा आंकड़ों के एकीकरण के लिए द्वितीयक स्त्रोतों जैसे– सरकारी विभागों, किताबों, शोध अध्ययनों, शोध–पत्रों, विभिन्न लेखो और पत्र–पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है।

विकलांगो के लिए संवैधानिक अधिकार (Constitutional Rights for Disabled Persons) – भारतीय संविधान के तृतीय भाग में भारत के नागरिकों के लिए छः मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। ये मौलिक अधिकार निम्न है–

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
3. षोशण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

5. संस्कृति और शिक्षा से सम्बन्ध अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

6. संवैधानिक उपचारों का आविष्कार (अनुच्छेद 32–35)

ये सभी अधिकार विकलांग व्यक्तियों को भी प्रदत्त है। यद्यपि संविधान के किसी भी भाग में ऐसे व्यक्तियों का जिक्र नहीं है। इसके अलावा, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धान्तों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है और शासन व्यवस्था में इन्हें मौलिक रूप से स्वीकार किया गया है। अपनी प्रकृति में ये सिद्धान्त नीति निर्माताओं और अधिकारी वर्ग के लिए निर्देशात्मक पथ का निर्माण करते हैं।

विकलांगो के लिए संवैधानिक अनुच्छेद/प्रावधान (Constitutional Provisions for Disabled Persons) –

1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत यह व्यवस्था स्थापित है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा।

2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) में किसी नागरिक को, चाहे वह विकलांग ही हो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

3 अनुच्छेद 19 (1) में भारतीय क्षेत्र में निवासित भारतीय नागरिकों के लिंग स्वतंत्रता का विधान किया गया है परन्तु विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ उन्हें विकलांगता से आजादी है।

4 अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत जीवन और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार समानता के आधार पर देता है। विकलांग व्यक्तियों के परिपेक्ष्य में भी क्रियाशील है।

5 अनुच्छेद 23–24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार निहित है। इनमें राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों (विकलांग व्यक्तियों सहित) का शोषण रोकने का प्रावधान किया है। इन प्रावधानों में बेगार, जबरन काम, बाल श्रम जैसे कानूनों का प्रावधान किया गया है।

6 अनुच्छेद 38 (1) के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों (विकलांग व्यक्तियों सहित) के कल्याण की सुरक्षा और संरक्षा करें।

7 अनुच्छेद 41 के अनुसार जो पेन्शन संबंधित मामलों को दर्शाता है, यह निर्देशित करता है कि राज्य अपने कमजोर वर्ग के नागरिकों को जैसे बेरोजगारों, वृद्धजनों, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, विकलांगों और अन्य संबन्धित मामलों में उनकी अर्थिक उन्नति और विकास के लिए पूर्णतः सहयोग करेगा।

8 अनुच्छेद 51 जो भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों से सम्बद्ध है। जिनकी कुल सं. 11 है। अंतिम ग्यारहवीं संख्या में प्रत्येक माता–पिता अथवा अभिभावक को उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है। यह

षिक्षा का अवसर बिना किसी भेदभाव के (विकलांग व्यक्तियों सहित) समान रूप से प्रदान किया जाता है।

विकलांग व्यक्यिों के अधिकारों के लिए बनाये गये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम/कानून (Some Important Acts/Rules for the Rights of Disabled Persons) –

1 **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 –** इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार/विकलांग व्यक्ति को किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा पानें का अधिकार है। साथ ही, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की पेंशन, मुफ्त कानूनी सेवा तथा भत्तों का भी वह पूर्ण अधिकारी है।

2 **कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 –** इस अधिनियम के अनुसार कानून की पहुॅच को सभी के लिए सुलभ बनाया गया है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए तो इसे मुफ्त ही रखा गया है। इस अधिनियम द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया निःशुल्क रखी गयी है।

3 **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 –** यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं उनकी शिक्षा के मानकों का निर्धारण कर विकलांगों के लिए बनायी गयी नीतियों और कार्यक्रमों का कानूनी रूप से पालन सुनिश्चित किया गया। साथ ही पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यवसायिक अनुदेशकों और कर्मचारियों को पंजीकृत करने का भी नियम बनया गया है।

4 **विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 –** यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों का समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके शोषण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1995 में अस्तित्व में लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा, चिकित्सीय देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास और समानता का अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है।

5 **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 –**राश्ट्रीय न्यास की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम–44, के अन्तर्गत सन् 1999 में की गयी थी। यह न्यास विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को विकलांगों की उन्नति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। न्यास द्वारा कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा जिनका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। दिशा, विकास, बढ़ाओ कदम, प्रेरणा, निरमया, घरौंदा, समर्थ जैसे कार्यक्रम विकलांगता के क्षेत्र में 'मील के पत्थर' हैं।

6 **विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2011 –** यह अधिनियम पूर्व में वर्णित विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्व भागीदारी) अधिनियम 1995 का विस्तृतरूप है। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा और उनकी उन्नति के लिए निर्देशित करता है। इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी क्षमताओं को बढ़ाना, उनको नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्रदान करना, अवरोधों को हटाना,

कौशल क्षमता को बढ़ावा देना जैसे प्राधिकारों को शामिल किया गया है।

7 **विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 –** सर्वप्रथम विकलांग व्यक्ति अधिकार बिल 2014, को लोक सभा में 7 फरवरी 2014 को प्रस्तुत किया गया था, तत्पश्चात् 14 दिसम्बर 2016 को यह बिल लोक सभा में पास हुआ। अन्त में 28 दिसम्बर 2016 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर उपरान्त यह अधिनियम बन गया।

अप्रैल 2017 से यह अधिनियम अपने प्रभावित रूप में सक्रिय हुआ परन्तु अपने पूर्ण प्रभाव रूप में यह 15 जून 2017 से सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम–1995, को पूर्णरूप से प्रतिस्थापित कर दिया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें विकलांगता की श्रेणियों का वृहदीकरण है जो 7 से बढ़कर 21 हो गयी हैं। शेष सभी नियमों और कानूनों को पूर्व के अधिनियमानुसार ही रखा गया।

8 **आयकर अधिनियम, 1961 –**यह अधिनियम उन विकलांग व्यक्तियों को आयकर में छूट प्रदान कराता है जो 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित हैं। आयकर छूट निम्न अनुभागों में दिये जाते हैं –

(i) सेक्शन 80U – इसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को कुल आय पर रू0 75,000/– से 1,25,0000/– तक आयकर छूट दी जाती है।

(ii) सेक्शन 80DD – इस धारा के अन्तर्गत इस छूट का लाभ विकलांग व्यक्ति की देखरेख करने वाले अथवा उनकी चिकित्सीय सुविधाओं पर किये गये धन खर्च पर लागू होता है, जिसकी सीमा रू0 75,0000/– से 1,25,0000/– तक है।

(iii) सेक्शन 80DDB – इसमें विकलांग व्यक्तियों की विशेष प्रकार की बीमारियों (एड्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बिमारी) की चिकित्सा के लिए आयकर छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट वर्ष 2019–20 से रू0 1,00,000/– तक है।

(iv) परिवहन भत्ता – धारा 10(14) के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति (अस्थि और दृष्टि विकलांग) अपने नियोक्ता से परिवहन भत्ता के रूप में रू 3,200 प्रति माह की मॉग कर सकता है। जोकि आयकर छूट के अन्तर्गत आता है।

सम्बन्धित समाजशास्त्रीय सिद्धान्त एवं विश्लेषण (Related Sociological Theories and Alalysis) –

पूर्व में समाजशास्त्र में विकलांगता के अध्ययन की कोई अलग शाखा नही थी। विकलांगता का अध्ययन सामाजिक असमानता रूप में किया जाता था। विकलांगता को स्वास्थ्य की हानि अथवा शारीरिक कमी के रूप में देखा जाता था। इसका अध्ययन स्वास्थ्य के सामाजिक और सांस्कृतिक आयम के अन्तर्गत ही होता था। परन्तु 1970 के दशक में इसे ज्ञान की नई शाखा के रूप में स्वतंत्र पहचान मिली। वर्तमान में समाजशास्त्र में विकलांगता से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्त और मॉडल विकलांगता के लिए विकसित किये गये हैं। जो निम्न है–

1 प्रकार्यात्मक सिद्धान्त,

2 मार्कर्सवादी सिद्धान्त,

3 आलोचनात्मक सिद्धान्त,

4 सामाजिक सिद्धान्त

5 द्वन्दात्मक सिद्धान्त

6 चिकित्सीय मॉडल

7 सामाजिक मॉडल

8 दान का मॉडल

समाजशास्त्र में विकलांगता का पहला बड़ा और सर्वप्रथम अध्ययन शारीरिक बीमारी के परिप्रेक्ष्य में टालकाट् पार्सन्स (1951) ने ''रुग्ण भूमिका'' के रूप में की है। वे मानते हैं कि सामाजिक संरचना का प्रत्येक भाग परस्पर एक सेट के रूप में मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाता है परन्तु विकलांग व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था की माँग के अनुरूप अपना योगदान नहीं दे सकता है। रुग्णता को सामाजिक विचलन के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट भूमिका को अदा करता है। शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण ही उस व्यक्ति की यह भूमिका अदा करनी पड़ती है। प्रकार्यवादी विकलांगता को व्यक्तिगत असमर्थता मानते हैं। काफी हद तक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त चिकित्सीय मॉडल के समान है। प्रकार्यवादी विकलांगता को रूग्न भूमिका के रूप में देखते हैं और चिकित्सा के द्वारा समाज अथवा व्यक्ति के असामान्य क्रियाकलापों को ठीक करने की बात करतें हैं।

सामाजिक सिद्धान्त और मॉडल यह विश्वास करता है कि विकलांगता एक सामाजिक घटना है और इसे समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे समाज से हटाया नहीं जा सकता है, न ही अलग किया जा सकता है। माइक ओलिवर, जिन्हे सामाजिक मॉडल का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, मानते हैं कि, विकलांगों को समाज में जिन समस्याओं का सामना करना पडता है, वे उनकी व्यक्तिगत अभावों की न होकर बल्कि सामाजिक अभावों, बहिष्कारों और उत्पीडनों के परिणाम होते हैं। चिकित्सीय मॉडल सामाजिक मॉडल से विरोधी मत रखता है। चिकित्सीय मॉडल में यह विश्वास किया जाता है कि विकलांगता एक शारीरिक या मानसिक विकार है, जिसे दवा और अन्य उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है।

प्रारम्भ में से ही समाज का विकलांगों के प्रति नकारात्मक और प्रतिकूल रवैय्या रहा है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के प्रति समाज का तर्कहीन रवैय्या उनकी समस्या को और अधिक बढ़ावा देता है। मार्क्सवादी सिद्धान्त और आलोचनात्मक सिद्धान्त विकलांगता को सामाजिक असमानता की उपज के रूप में देखते हैं। यह चिकित्सीय मॉडल और अनावश्यक जाँच की आलोचना करता है। चिकित्सालय विकलांगता के द्वारा हुई दुर्बलता को दूर नहीं कर सकता है। वे केवल भ्रम उतपन्न करते हैं। दान का मॉडल विकलांगों के सम्बन्ध में भारतीय समाज में काफी पुराना है। इसके अनुसार विकलांगों अथवा अक्षम व्यक्तियों को कुछ सहायता (धन, वस्तु अथवा सेवा द्वारा) करके समाज के साथ बराबरी में लाने का प्रयास किया जाता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि उनके दुखों को कम करने का प्रयास किया जाता है।

समाज का निर्माण एक समाजिक प्रक्रिया के अन्तर्गत होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भी अपना सम्पूर्ण योगदान देना सुनिश्चित करें। परन्तु हर कोई इस प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम है अथवा नही, इसका आकलन करना कठिन है। मनुष्य की आवश्यकताओं का आकलन करना भी कठिन है, फिर भी आवश्यक रूप से कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर अगर हम समाज में न्याय के शासन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि न्याय एक साधन है जिसके माध्यम से साध्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के0 एम0 मुंशी के अनुसार, 'संविधान मात्र एक ऐसा साधन है जो न केवल समाज की बेहतरी को सुनिश्चित करता है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी बनाये रखता है, साथ ही यह भी मान्यता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में पवित्र है।'

भारतीय संविधान ने सभी मानवीय अधिकरों और बुनियादी सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। समाज में यदि विकलांगों को मानव अधिकार दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कानून निर्माण और उनके कार्यान्वयन करने का पक्षधर है। यह दृष्टिकोण योग्य और अयोग्य के बीच समाज की सामाजिक समानता को परिभाषित करता है। इसके अनुसार विकलांग लोग वे होते हैं, जिनको सबसे अधिक मानवीय आवश्यकता की जरूरत होती है। माइक ओलिवर के अनुसार, दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है और 'विकलांग समाज' भी समाज निर्माण का पूर्ण हकदार है। यह विकलांगता के बारे में हमारी समझ को भी परिवर्तित करता है।

उपसंहार

समाज द्वारा विकलांगता को उन विकलांग व्यक्तियों पर एक कलंक के रूप में लिया जाता है और बाकी मानव समाज से अलग–थलग कर उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में यह आवश्यक है कि सभी के लिए लोक कल्याण सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, यह भी सुनिश्चित हो कि विकलांगता के प्रति क्रियान्वित नीति नियमों का मौलिक प्रभाव विकलांगता के मुख्य सिद्धान्तों के निर्माण में हो। राज्य और समाज की चिन्ता का मुख्य केन्द्र विकलांगों के कल्याण और पुर्नवास के साथ उन्हे समाज की मुख्य धारा में जोड़ना भी होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता इन सामाजिक समस्याओं से भली–भाँति अवगत थे। इसलिए उन्होंने विकलांगों के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान कर दिये थे। ये प्रावधान काफी हद तक समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सफल हुए हैं। ये प्रावधान और नियम समाज में समानता लाने में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा रहे हैं। संवैधानिक प्राावधान भारतीय समाज में एक नयी विचारधारा को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण रहें हैं और भविष्य में अपनी सार्थकता सिद्ध करते रहेंगें।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. Annual Report (2015-16) by Department of Empowerment of Person with Disability. http://disabilityaffairs.gov.in

2. Colin Barners and Mike Oliver, *"Disability : A Sociological Phenomenon Ignored by Sociologist,* (June, 1993).www.disability-studies.leeds.ac.uk/ archiveuk/Barnes/soc%20phenomenon .pdf.
3. First Country Report on the Status of Disability in India by Ministry of Social Justice and Empowerment (GoI), Department of Empowerment of Persons with Disabilities (2015-16).
4. Karna, G.N. (2001), *"Disability Studies in India",* Gyan Publishing House, Delhi.
5. Kumar, Sudesh and Mudasir Ahmad Lone, *A Sociological Investigation of Disability : Theory, Debate and Perspectives,* Acme International Journal of Multidisciplinary Research, Volume I, Isasue IX (Sep, 2013) www.researchjournals.in/ AIJMR/2013/1904.pdf.
6. Lang, Raymond. (1998). *"A critique of the disability movement, Asia Pacific Disability" Rehabilitation Journal*, 9 (1), pp. 4-8.
7. Pandey, J.S.P. (2017), *"Disability and Social Security",* Mount Hill Publishing Company, Delhi.
8. Singh, K.R. Sudhir and K.A. Kachhap, *"Disability, Citizenship and Exclusion,* Anamika Publishers, New Delhi (2008).
9. http://www.hrln.org/hrln/disability-rights.html.
10. https://taxguru.in/income-tax/tax-benefits-for-disabled-and-handicapped-persons.html